



INDIA NON JUDICIAL

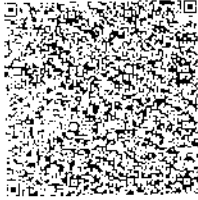


IN-UP00112694852166V

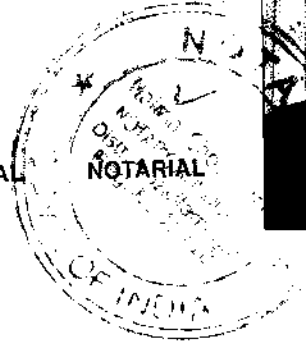
Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Certificate No. : IN-UP00112694852166V
 Certificate Issued Date : 29-Aug-2023 10:21 AM
 Account Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14554504/ MUZAFFARNAGAR SADAR/ UP-MJF
 Judicial Doc. Reference : SUBIN-UPUP1455450495802865472374V
 Purchased by : MAULANA AZAD EDUCATIONAL SOCIETY
 Registration of Document : Article 4 Affidavit
 Property Description : Not Applicable
 Consideration Price (Rs.) :
 First Party : MAULANA AZAD EDUCATIONAL SOCIETY
 Second Party : Not Applicable
 Stamp Duty Paid By : MAULANA AZAD EDUCATIONAL SOCIETY
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 100
 (One Hundred only)



NOTARIAL



(प्रारूप-अ)

हम नायाब खान एवं रविश आलम खान क्रमशः अध्यक्ष एवं प्रबन्धक मौलाना आजाद एजुकेशनल सोसाइटी, 132 अंसारो रोड, मुजफ्फरनगर शपथपूर्वक निम्नवत बयान करते हैं-

1. यह कि हमारी सोसाइटी द्वारा भारत एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फार्मसी, 2 किमी० बरला-बसेड़ा रोड, भमावड़ी, मुजफ्फरनगर नामक डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह कि हमारी सोसाइटी के नाम 2 किमी० बरला-बसेड़ा रोड, भमावड़ी, मुजफ्फरनगर में गाटा संख्या 567 कुल रकबा .9920 हेक्टेयर (2.45 एकड़) भूमि है।
3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।
4. यह कि, उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 567 रकबा .9920 हेक्टेयर पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी की बैठक दिनांक 06.02.2021 द्वारा पारित किया गया है।
5. यह कि, उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।

Naima Chaudhary
 NOTARY/ADVOCATE
 Muzaffarnagar

29-08-2023

5. यह कि, उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।
6. यह कि, निरीक्षण समिति कि समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
7. यह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।
8. यह कि, इस संस्था में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
9. यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आईटीआई आदि का संचालन न तो पूर्व में किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।
10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।
11. यह कि संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी द्वारा सत्र प्रारम्भ के पूर्व कर लिया जायेगा।
12. यह कि, संस्थान/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भलीभांति पालन करूँगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।
13. मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।

अध्यक्ष

प्रबन्धक

Notary Seal
NOTARY/ADVOCATE
INDELIBLE